



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-11062025-263715
CG-UP-E-11062025-263715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2448]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947

No. 2448]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

प्रयागराज, 17 मई, 2025

का.आ. 2507(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के तहसील राबर्टसगंज में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् 'चुनार से चोपन' खण्ड के मध्य किमी-168/23-25 समपार संख्या 37 के बजाए रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण" एवं इसके निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सिचाई)/मिर्जापुर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने

तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा

उक्त अधिनियम कि धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना 'चुनार से चोपन खण्ड के मध्य किमी. 168/23-25 समपार संख्या 37 के बजाए रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण' के लिए सोनभद्र, जिले के राबर्टसगंज तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	तहसील	मौजा	भूमि के प्रकार	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा है.
1	राबर्टसगंज	नौडिहा	नाली/सरकारी	38	0.1028
2			प्राइवेट	33	0.0005
3			प्राइवेट	39	0.0684
4			नाली/सरकारी	43	0.0138
5			प्राइवेट	45	0.0017
6			सरकारी/प्राइवेट	44	0.0007
7			प्राइवेट	48	0.0010
8			सरकारी/प्राइवेट	49	0.0004
9			सरकारी/प्राइवेट	16	0.0027
10			प्राइवेट	37	0.0009
11			सरकारी/प्राइवेट	40	0.0349
योग					0.2278
1	राबर्टसगंज	मेहुड़ीखुर्द	सरकारी/प्राइवेट	58	0.0213
2			रेलवे	59	0.0732
3			नाली/सरकारी	60	0.0415
4			रेलवे	73	0.0144
5			नाली/सरकारी	61	0.0060
6			रेलवे	72	0.0030
7			नाली/सरकारी	62	0.0346
8			रेलवे	63	0.0166
9			प्राइवेट	57	0.0026
10			रेलवे	56	0.1722
11			रेलवे	64	0.0114
12			रेलवे	192	0.0024
13			प्राइवेट	224	0.0141
14			सरकारी/प्राइवेट	55	0.0415
15			रेलवे	193	0.0041

16			रेलवे	194	0.0041
17			नाली/सरकारी	196	0.1086
18			सरकारी/प्राइवेट	195	0.0063
19			प्राइवेट	203	0.0021
20			प्राइवेट	202	0.0012
21			प्राइवेट	201	0.0012
22			प्राइवेट	200	0.0008
23			सरकारी	198	0.0008
24			प्राइवेट	199	0.0008
25			रेलवे	191	0.0388
26			रेलवे	189	0.0046
27			रेलवे	190	0.0045
योग					0.6327
1	राबर्टसगंज	टॉड की ढौड़ उर्फ राबर्टगंज	सरकारी/सड़क	267	0.1849
2			प्राइवेट	202	0.0159
3			सरकारी/प्राइवेट	207	0.0003
4			सरकारी/प्राइवेट	206	0.0012
5			सरकारी/प्राइवेट	205	0.0031
6			सरकारी	204	0.0051
7			सरकारी/प्राइवेट	214	0.0025
योग					0.2130

[ई.फा.सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.सी.ई.एन.जी.(जीईएन)/60/2024-ओ./ओ. डीवाई.

सी.ई./सी/पीएलजी/एच.क्यू/एन.सी.आर (कम्प्युटर सं. 121374)]

[File No. 1-G/ROB-37/Land Acquisition/2024-25/01]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 17th May, 2025

S.O. 2507(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, **“Construction of Railway Over Bridge instead of level crossing number 37 between km-168/23-25 of Chunar to Chopan section”** in the district of Sonbhadra in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer(Irrigation)/Mirzapur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “construction of railway over bridge instead of level crossing number 37 between km-168/23-25 of Chunar to Chopan section” under Robertsganj Tehsil of Sonbhadra District in the state of UTTAR PRADESH.

	Tehsil	Village name	Types of land	Khasara No.	Acquisition Area (in Hect.)
1	Robertsganj	Naudiha	Conduit / Government	38	0.1028
2			Private	33	0.0005
3			Private	39	0.0684
4			Conduit / Government	43	0.0138
5			Private	45	0.0017
6			Government/ Private	44	0.0007
7			Private	48	0.0010
8			Government/ Private	49	0.0004
9			Government/ Private	16	0.0027
10			Private	37	0.0009
11			Government/ Private	40	0.0349
TOTAL					0.2278
1	Roberstganj	Mehudikhurd	Government/ Private	58	0.0213
2			Railway/Government	59	0.0732
3			Conduit / Government	60	0.0415
4			Railway/Government	73	0.0144
5			Conduit / Government	61	0.0060
6			Railway/Government	72	0.0030
7			Conduit / Government	62	0.0346
8			Railway/Government	63	0.0166
9			Private	57	0.0026
10			Railway/Government	56	0.1722
11			Railway/Government	64	0.0114
12			Railway/Government	192	0.0024
13			Private	224	0.0141

14			Government/ Private	55	0.0415
15			Railway/Government	193	0.0041
16			Railway/Government	194	0.0041
17			Conduit / Government	196	0.1086
18			Government/ Private	195	0.0063
19			Private	203	0.0021
20			Private	202	0.0012
21			Private	201	0.0012
22			Private	200	0.0008
23			Government	198	0.0008
24			Private	199	0.0008
25			Railway/Government	191	0.0388
26			Railway/Government	189	0.0046
27					Railway/Government
TOTAL					0.6327
1	Roberstganj	Tandku Dhaud alias Robertganj	Government/Road	267	0.1849
2			Private	202	0.0159
3			Government/ Private	207	0.0003
4			Government/ Private	206	0.0012
5			Government/ Private	205	0.0031
6			Government	204	0.0051
7			Government/ Private	214	0.0025
TOTAL					0.2130

[e-file No.NCR-HQ0CENG(GEN)/60/2024-O/o Dy.CE/C/PLG/HQ/NCR (Computer No.121374)]

[File No. 1-G/ROB-37/Land Acquisition/2024-25/01]

VIPIN KUMAR, Chief Admn. Officer (Cons.)